

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट  
रीवा म0प्र0



रामानुज पटेल पिता स्व0 विश्राम प्रसाद पटेल, उम्र-52 वर्ष, पेशा-नौकरी, निवासी  
ग्राम व पोस्ट-नौढिया, थाना व तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा म0प्र0

श्रीवत्सल पटेल  
पेशा 10-7-17 R.III निगम रीवा भू.रा०/2017/2157 निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम

- रामफल पटेल तनय श्री रामचन्द्र पटेल, उम्र-70 वर्ष, पेशा-सेवा निवृत्त व  
कृषि
- 2- रामकिशोर पटेल तनय श्री रामचन्द्र पटेल, उम्र-67 वर्ष, पेशा-कृषि
  - 3- रामलाल पटेल तनय श्री रामचन्द्र पटेल, उम्र-62 वर्ष, पेशा-कृषि
  - 4- राममणि पटेल तनय श्री रामचन्द्र पटेल, उम्र-60 वर्ष, पेशा-सेवा निवृत्त
  - 5- शांति बेवा परमेश्वर पटेल, उम्र-70 वर्ष, पेशा-घरु कार्य।
  - 6- दीपक पटेल पिता परमेश्वर पटेल, उम्र-29 वर्ष, पेशा-नौकरी
  - 7- दिलीप पटेल पिता परमेश्वर पटेल, उम्र-25 वर्ष, पेशा-कृषि।
  - 8- संदीप पटेल पिता परमेश्वर पटेल, उम्र-23 वर्ष, पेशा-कृषि।
  - 9- छेदीलाल पटेल पिता रामखेलावन पटेल, उम्र-52 वर्ष, पेशा-सेवा निवृत्त
  - 10- सीताशरण पटेल पिता रामखेलावन पटेल, उम्र-40 वर्ष, पेशा-कृषि

सभी निवासी ग्राम व पोस्ट-नौढिया, थाना व तहसील रायपुर  
कर्चुलियान, जिला रीवा म0प्र0 — गैरनिगरानीकर्ता / अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् नायब  
तहसीलदार साहब तहसील रायपुर कर्चुलियान,  
जिला रीवा के प्र0क्र0 5/अ-2/2015-16  
पारित आदेश दिनांक 27/06/2017 के आदेश  
को अपास्त करने बावत।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50  
म0प्र0भू0रा0सं0-1959 ई0

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण :-


ग्राम नौढिया जं0 नं0 323, पटवारी हल्का रामनई, रा0नि0मं0 रायपुर  
कर्चुलियान, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा के आराजी ख0नं0  
486/3 रकवा 0.085 हे0 के मालिक भूमि स्वामी लीलावती, अल्द विश्राम एवं

*(Signature)*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III/त्रिग: 117/2157 जिला- रीवा

रामानुज पटेल विरुद्ध रामफल पटेल

(1)	(2)
18.12.18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>वसुधा पटेल</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/ राजस्व निरीक्षक, तहसील <u>रायपुरा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>S/142/13-14</u> में पारित आदेश दिनांक <u>27.6.17</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>6.3.19</u> को कलेक्टर <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>